"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2005—कार्तिक 20, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.—श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से., कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 31-10-2005 से 11-11-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-10-2005 तथा 12 एवं 13 नवम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्री पिंगुआ के अवकाश अवधि में श्री अमीर अली, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, सरगुजा का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री पिंगुआ, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-5-8/दो/आठ-परि./2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग क) में अंतर्विष्ठ उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा जगदलपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित मार्गों को मंजिली गाड़ी संचालन के उद्देश्य से विनिश्चित (Formulation) करती है :—

स. क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)	व्हाया (3)
1.	कटेकल्याण से माटवाड़ा	दन्तेवाड़ा, गीदम, भैरमगढ़
2.	दन्तेवाड़ा से सुकमा	नकूलनार, गादीरास
3.	चिकपाल से छिंगनार	कटेकल्याण, दन्तेवाड़ा, गीदम
4.	सुरनार से गीदम	कटेकल्याण, दन्तेवाड़ा, कारली
5.	उसूर से बिजापुर	आवापल्ली
6.	बिजापुर से भोपालपटनम्	मोदकपाल, मद्देड़, चेरापल्ली
7.	कटेकल्याण से जगदलपुर	दन्तेवाड़ा, गीदम, बास्तानार, किलेपाल, तोंगपाल, केशलूर
8.	दन्तेवाड़ा से कोन्टा	नकूलनार, गादीरास, सुकमा, दोरनापाल
9.	कनेरा से जगदलपुर	कोंगेरा, रेटावण्ड, वस्तर, आसना
10.	जगदलपुर से उड़ीयापाल	आसना, धोबीगुड़ा, बजावण्ड, नलपावड़
11.	जगदलपुर से गर्दा	करंजी, लोहण्डीगुडा, अलनार
12.	जगदलपुर से नेतानार	सांवनी, सारागुर, नानगुर
13.	भैंसगांव से जैतगीरी	भोड़बाकांवण्ड, वस्तर, आसना, जगदलपुर
14.	केशकाल से बोरई	विश्रामपुरी
15.	जगदलपुर से सुकमा	केशलूर, दरभा, तोंगपाल, छिन्दनार
16.	जगदलपुर से कोन्टा	केशलूर, दरभा, तोंगपाल, छिन्दनार, सुकमा
17.	जगदलपुर से आंजर	करंजी, लोहंडीगुडा
18.	अन्तागढ़ से बोरई	आमाबेड़ा, धनोरा, केशकाल, विश्रामपुरी

(1)	(2)	(3)
19.	जगदलपुर से चिंगावरम्	केशलूर, दरभा, तोंगपाल, छिन्दनार, सुकमा
20.	विश्रामपुरी से जगदलपुर	केशकाल, फरसागांव. बहीगांव, कोण्डागांव, बस्तर, आसना
21.	नारायणपुर से रायपुर	बेनूर, कोण्डागांव, केशकाल, कोंकरें, चारामा; धमतरी, अभनपुर
22.	नारायणपुर से छोटेडोंगर	अन्तागढ़, भानुप्रतापपुर
23.	जगदलपुर से गिरोला	आसना, धोबीगुड़ा, बजावण्ड, नलपावण्ड
24.	कोण्डागांव से नगरी	अमरावती, मांकड़ी, बोरई, सांकरा
25.	वेलर से बैलाडीला	सिहावा, जामगांव, नरहरपुर, कांकेर, केशकाल, कोण्डागांव, जगदलपुर, गीदम, दन्तेवाड़ा.
26.	कोण्डागांव से औरछा	काकोड़ी, बेनूर, नारायणपुर, सारागांव, छोटेडोंगर, धनोरा
27.	कोण्डागांव से नारायणपुर	काकोड़ी, बेनूर, रिमावण्ड
28.	नरहरपुर से कांकेर	सरोना, धनेसरा
29.	भानुप्रतापपुर से नगरी	मानवेड़ा, कोरर, देवरी, मांकड़ी, कांकेर, सरोना, वेलर, दुधावा
30.	कांकेर से भानुप्रतापपुर	कोरर, मानवेड़ा
31.	भानुप्रतापपुर से छोटेडोंगर	अन्तागढ़, नारायणपुर
32.	नरहरपुर से बांसकोट	बोरई, विश्रामपुरी, केशकाल, कोंकरे, सरोना
33.	कांकेर से नगरी	सरोना, धनसेरा, देवगांव, नरहरपुर, दवेना, जामगांव, सेमरा, बिरगुड़ी, सिहावा.
34.	नगरी से नरहरपुर	सांकरा, घटुला, बेलरगांव, जामगांव
35.	नगरी से कांकेर	दबेना, नरहरपुर, अमोड़ा, पण्डरीपानी
36.	दुर्ग से जगदलपुर	गुण्डरदेही, बालोद, दल्ली, डोण्डी, भानुप्रतापपुर, अन्तागढ़, नारायणपुर, कोण्डागांव, भनपुरी.
37.	दुर्ग से कोण्डागांव	सोमनी, राजनांदगांव, देवरी, लोहारा, दल्ली, डोण्डी, भानुप्रतापपुर, अन्तागढ़, नारायणपुर, बेनूर.
38.	दुर्ग से कोण्डागांव	सोमनी, राजनांदगांव, देवरी, लोहारा, दल्ली, डोण्डी, भानुप्रतापपुर, अन्तागढ़, नारायणपुर.
39.	जगदलपुर से दुर्ग	कोण्डागांव, नारायणपुर, अन्तागढ़, भानुप्रतापपुर, डोण्डी, दल्ली, बालोद, गुण्डरदेही.
40.	जगदलपुर से बैलाडीला	केशलूर, तोकापाल, किलेपाल, बास्तानार, गीदम, दन्तेवाड़ा, बचेली
41.	पटियावण्ड से चित्रकोट	बकावण्ड, आसना, जगदलपुर, लोहड़ीगुड़ा
42.	जगदलपुर से बारसूर	केशलूर, तोकापाल, किलेपाल, बास्तानार, गीदम
43.	धनपूंजी से चित्रकोट	नगरनार, जगदलपुर, लोहड़ीगुड़ा
44.	जगदलपुर से पालनार	केशलूर, तोकापाल, गीदम, दन्तेवाड़ा, नकूलनार
45.	नगरनार से चित्रकोट	आड़ावाल, जगदलपुर, लोहड़ीगुड़ा
46.	जगदलपुर से महासमुंद	कोण्डागांव, केशकाल, कांकेर, धमतरी, रायपुर, आरंग, नदीमोड़ा
47.	कुटरू से पटनम	बीजापुर, मददेड़
48.	कुरूसनार से कोण्डागांव	गोलावण्ड, बम्हानी
49.	विजापुर से आवापल्ली	मुरकीनार से चेरामुंगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 8-49/35/309/तक./2005.—राज्य शासन, गौवंश के संवर्धन को अत्यधिक महत्व देता है, अतएव एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अध्यक्ष, जीव-जन्तु कल्याण व कृषि शोध संस्थान, जोधपुर एवं श्री ओम प्रकाश जी, गौसेवा प्रमुख, माधव भवन, जयपुर हाऊस, आगरा (उ. प्र.) को प्रदेश में संचालित गाय/बैलजोड़ी वितरण योजना एवं छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के सलाहकार के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

शुद्धिपत्र

फा. क्रमांक 8190/21-ब/छ.ग./05.— विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 339/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 13-01-05 में कंडिका-4 के पैरा में दिनांक 27-01-04 के स्थान पर दिनांक 27-11-04 पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक /1063/1984/16/05.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 762/1376/2005/16 दिनांक 30 अगस्त 2005 को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. के. कपूर को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रमायुक्त नियुक्त करता है.

No./1063/1984/16/05.— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of C.G. Labour Department notification No. 762/1376/2005/16 dated 30 August 2005 the State Government hereby appoints Shri V. K. Kapoor to be the "Commissioner of Labour" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक 2607/एफ 4-63/04/32/स्था.—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राज्य शासन के परामर्श से एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) की धारा 103 की उपधारा (3) सहपठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल विनियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में—

1. नियम 5 के खण्ड (स) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय :—

    "मण्डल के श्रेणी—प्रथम, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होगी. जबकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आयु 62 वर्ष होगी."

2. यह 31 अक्टूबर 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा.

No. 2607/F 4-63/04/32/Esta.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 103, read with section 17 of the Chhattisgarh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973) Chhattisgarh Housing Board in consultation with State Government hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Griha Nirman Mandal Regulations, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said regulations—

1. For clause (c) of rule 5 the following clause shall be substituted namely :—

    "The age of superannuation of the Class I, II and III officers and employees of the Board shall be sixty years, whereas that of Class IV employees shall be sixty-two years."

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 31st October 2005.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुभाष राव, अध्यक्ष.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/13/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	घोटिया	0.201	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो) जिला-बस्तर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र. मं. ग्रा. स. यो.) जिला- बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/25/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कनकापाल	2.232	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	झीरम नदी व्यपवर्तन योजना (लघु नहर).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/26/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियां का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कोकावाड़ा	0.753	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	झीरम नदी व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर/कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक/512/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	मोहतराकला	0.611	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कबीरधाम.	प्र.मं.ग्रा.स.यो. भगतपुर से सैहामालगो सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक/514/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सैहामालगी	0.226	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कबीरधाम.	प्र.मं.ग्रा.स.यो. भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक/517/रीडर/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भगतपुर	0.902	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) कबीरधाम.	प्र.मं.ग्रा.स.यो. भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	पुरेनाखार	0.105	कलेक्टर कोरबा	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2005

क्रमांक /अ.वि.अ/भू.अ./प्र.क्र. 02/अ-82/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-गुजरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.816 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/4	0.020
53/1	0.105
53/2	0.028
53/6	0.020
47/10	0.162
57/4	0.069
53/3	0.105
53/4	0.061
53/5	0.020
53/8	0.024

(1)	(2)
54/1	0.202
योग 11	0.816

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गुजरा वितरक शाखा नहर के विस्तारित नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

प्र. क्र. 20/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.794 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135, 204/1 घ	0.300
136/1, 204/1 ख	0.494
योग 2	0.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आर. एम. के. के. सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 87.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-तरदा, प.ह.नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.789 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
638/1	0.073
638/2	0.121

	(1)	(2)
	643/3	0.004
	638/6	0.162
	638/8	0.061
	638/9	0.089
	639/1	0.049
	641/1	0.040
	643/1	0.049
	643/6	0.040
	643/7	0.040
	643/9	0.061
योग	12	0.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कथरीमाल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 88.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-कनकी, प.ह.नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231	0.089
625	0.016
194/2	0.149
232	0.081
233	0.032
235	0.040
234	0.016
248	0.016
196	0.024
227	0.020
249	0.008
195	0.162
250/1	0.012
600/2	0.020
642/1	0.040
191/2	0.028
189	0.069
191/1	0.137
427/1	0.049
407/2	0.085
184/1	0.121
184/2	0.008
398	0.057
182	0.202
616	0.020
424/1	0.012
617	0.081
426/1	0.049
183/1	0.012
181	0.040
399/1	0.012
647	0.020
644	0.028
400	0.105
496/1	0.089
401/1	0.129
620	0.020
621	0.121
618/2	0.032
516/1	0.032
517/1	0.040
407/1	0.032
406/1	0.243
417/2	0.040

(1)	(2)
514/2	0.008
425/1	0.097
424/2	0.040
641	0.049
513/1	0.073
417/1	0.012
514/1	0.081
618/1	0.049
619	0.028
512/3	0.012
495	0.024
648	0.024
492	0.020
493	0.024
494	0.020
491/1	0.008
614	0.008
609/3	0.049
642/2	0.040
643	0.032
661	0.146
663	0.040
408	0.016
415/1	0.008
415/2	0.008
424/3	0.020
190	0.045
640/2	0.053
योग 72	3.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कथरीमाल शाखा नहर-निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 89.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुरी, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.483 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
504/2	0.028
505/1	0.053
506/1	0.032
551/3	0.016
508	0.036
548/1, 549/1	0.028
525/1	0.024
526/1	0.008
527/1	0.004
525/2	0.024
526/2	0.008
527/2	0.004
528/1 ख	0.012
542	0.040
540	0.012
541	0.016
528/3	0.053
539	0.012
528/6	0.053

	(1)	(2)
	528/5	0.020
योग	20	0.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनपुरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23-सितम्बर 2005

क्रमांक 90.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील करतला
- (ग) नगर/ग्राम-[illegible]गापाली, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.561 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	2/7	0.028
	15	0.061
	28	0.032
	2/6	0.012
	1/3	0.020
	14	0.069
	11	0.012
	2/2	0.024
	27	0.024
	17	0.061
	1/4	0.020
	16/1	0.008
	18/1	0.004
	21/1	0.004
	5/1	0.178
	30/1	0.004
योग	16	0.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बैगापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 91.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कनबेरी, प.ह.नं. 55/37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
186/3	0.024
158	0.016
159	0.028
156/2	0.045
146/1	0.162
182/1	0.081
151	0.012

(1)	(2)
153	0.004
152	0.146
168/1	0.061
168/2	0.061
168/5	0.004
168/6	0.008
168/7	0.016
168/8	0.024
168/9	0.020
168/2क	0.113
137/1	0.032
149/2	0.053
150/2	0.069
168/22	0.150
166/2	0.020
योग 22	1.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भलपहरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 92.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-कथरीमाल, प.ह.नं. 1,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.576 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
871/2	0.049
872	0.028
1091	0.121
873	0.040
874	0.040
875/1	0.105
875/2	0.004
869/1	0.004
1002	0.020
1006	0.146
394/6	0.020
869/2	0.089
860	0.129
859/2	0.081
928/1	0.020
859/1	0.097
394/4	0.142
395	0.016
930	0.101
1112/1	0.113
929/1	0.008
926/1	0.093
1007/1	0.049
1007/2	0.097
411/4	0.016
1004	0.121
1105	0.129
105/1	0.081
1003	0.243
1089	0.008
1090	0.012
401/1	0.073
406/4	0.032
1112/2	0.109
1092	0.008
1098	0.020
1099	0.032
1097/1	0.097
1097/2	0.032
1100	0.032
1101	0.049

(1)	(2)
1104	0.040
1103/2	0.049
391/3	0.101
1111	0.020
407	0.024
408	0.004
405	0.028
406/1	0.016
391/2	0.053
401/2	0.138
394/1	0.117
394/5	0.004
394/3	0.113
391/1	0.057
406/2	0.057
406/3	0.049
योग	3.576

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कथरीमाल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 93.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-तरदा, प.ह.नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.631 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
692	0.061
693/3	0.008
693/4	0.004
690	0.012
691/1	0.028
724/1	0.049
725	0.016
726/1	0.138
718	0.032
719	0.008
724/2	0.085
717/1	0.081
724/4	0.081
717/2	0.028
योग 14	0.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बैगापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 94.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-कनबेरी, प.ह.नं. 55/37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.577 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
402/8	0.121
398/8	0.024
401/1	0.020
401/2	0.020
401/3	0.020
401/4	0.020
401/5	0.020
479/1	0.036
479/2	0.045
393	0.052
391/1	0.040
391/2	0.061
392/1	0.049
392/2	0.049
योग 14	0.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भलपहरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 95.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
656	0.020
660	0.020
661/1	0.028
672	0.012
684/4	0.024
743	0.012
750/1	0.020
योग 7	0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डेवियर नहर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 96.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-गितारी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.287 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
629	0.036
630/2	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
630/1	0.061	419	0.235
631	0.081	415	0.008
606/2	0.004	416/1	0.061
611/1	0.162	414/1	0.049
611/2	0.012	414/2, 416/3	0.045
601/3	0.061	413	0.081
606/1	0.218	412	0.081
604/1	0.129	408	0.069
605/2	0.008	407	0.024
602	0.053	44	0.105
601/1	0.129	34	0.085
601/2	0.040	43	0.012
575	0.097	33/1	0.097
587	0.008	58/1	0.194
586	0.012	45	0.008
585	0.024	58/2, 59/2, 60	0.020
578	0.077	63/1, 81/2	0.020
577/3	0.020	84/2	0.004
577/2	0.053	83/1	0.053
577/1	0.077	83/2	0.061
506/2	0.081	83/3	0.057
506/3	0.073	86/1	0.036
505	0.008	86/2	0.012
507	0.154	87/1	0.020
498	0.089	86/4	0.008
494/1	0.113	86/7	0.004
497	0.032	86/8	0.012
495	0.032	93/3	0.008
493	0.008	140	0.077
491	0.156	88/2, 89	0.008
576	0.028	83/3, 90	0.012
487	0.045	92/1, 93/2	0.012
485	0.154	93/1	0.008
484	0.045	92/2	0.016
481	0.166	93/4	0.012
479	0.040	94/3, 97/2	0.045
480	0.040	141	0.040
421	0.004	143/1	0.061
486	0.089	144/1	0.040
336	0.053	155/2	0.053
420	0.004	156/1	0.053
337	0.057	158	0.061

(1)	(2)
192/1	0.049
191/2	0.012
192/2	0.040
191/1	0.194
221/2	0.040
232	0.045
233	0.024
234	0.012
152/1	0.057
153/2	0.008
योग	5.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गितारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 97.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-चित्रोली, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1402	0.024
1401/1	0.202
1401/2	0.129
1375	0.040
1382/1	0.113
1381	0.020
1380	0.032
1365	0.045
1377	0.121
1376	0.105
1442	0.081
1364	0.061
1373/2	0.004
1370	0.138
1369	0.214
1499	0.049
1435	0.049
1441	0.077
1444	0.105
1445/1	0.105
1445/2	0.073
1505	0.028
1506	0.089
1502	0.085
1495	0.077
1498	0.040
1149/1	0.032
1382/2	0.121
योग 28	2.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचोरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2005

क्रमांक 98.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प.ह.नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	44/1क	0.049
	43/2	0.020
	31/2	0.045
योग	3	0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसदेव बायीं तट नहर के अंतर्गत सबे मा. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 99.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-रीवांपार, प.ह.नं. 20/6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	121	0.004
	122	0.028
योग	2	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 100.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-करतला

(ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प.ह.नं. 20/6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.587 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
202	0.227
203	0.024
228/2	0.036
200/1	0.162
200/2	0.081

	(1)	(2)
	229/2	0.057
योग	6	0.587

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दर्राभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 101.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-चिचोली, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	575	0.210
योग	1	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगदर उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक भू-अर्जन/2/अ-82/99-2000/2001.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	733/3	0.33
	730	0.06
	729	0.04
	727/3	0.08
	727/2	0.04
	728	0.07
	196	0.10
	197/1	0.04
	200	0.11
	197/2	0.05
	195	0.17
	201/2	0.02
	191/1	0.07
	733/5	0.12
	751	0.45
योग	15	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी नेवसा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक भू-अर्जन/2/अ-82/99-2000/2001.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	70/8	3.00
	70/7	0.40
योग	2	3.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेन्दरीपाली जलाशय योजना के अन्तर्गत जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक भू-अर्जन/2/अ-82/99-2000/2001.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.46 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	23/1	2.50
	24	0.46
	25/2	0.50
	203/1 क/2	0.60
	23/2	0.40
योग	5	4.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बम्हनीकोना जलाशय के शीर्ष कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक भू-अर्जन/2/अ-82/99-2000/2001.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	379	0.30
योग	1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुरी जलाशय के अन्तर्गत स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 280/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-मसनिया खुर्द, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.923 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17	0.081
	13	0.162
	24	0.101
	14	0.154
	26	0.040
	25	0.045
	27	0.077
	9	0.263
योग		0.923

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 281/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
998	0.041
1143/1ग, 1143/2	0.016
1143/1	0.004

(1)	(2)
1148/1, 1152/1	0.097
योग	0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती उप शाखा नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 282/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.295 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
68/12	0.295
योग	0.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- [illegible] उप वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 283/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूटोहा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
338/2	0.012
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सरवानी वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 284/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	134/1	0.016
	134/5	0.061
	134/2, 134/4	0.028
	135/3	0.109
योग		0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पासीद माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 285/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प. ह. नं. 2-

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	483/3	0.162
योग	1	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरा वितरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 286/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.227 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
109/2	0.053
109/3	0.053
171	0.073
176/6	0.040

(1)	(2)
186/1	0.008
योग	0.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- असौंदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 287/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.296 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
639	0.004
633	0.004
635/1 घ	0.065
628/1	0.057
628/2	0.049
854	0.032
853	0.061
624/3 ख	0.004

(1)	(2)
863	0.020
योग	0.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पासीद माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 288/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165/13	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 289/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सोंठी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.641 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238/1	0.004
239/1	0.028
238/2	0.004
239/2	0.020
240/1, 241/1	0.020
438/1	0.028
416/6	0.057
421/1	0.109
427/3	0.040
697	0.020
706	0.040
770/2	0.061
438/2	0.049
756/3	0.020
756/2	0.101
759/4	0.012
532/2	0.028
योग 17	0.641

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 सितम्बर 2005

क्रमांक 290/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/1	0.061
211/4	0.040
219	0.142
223/7	0.065
227/4	0.098
236/2	0.012
योग	0.418

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 अक्टूबर 2005

रा.प्र.क्र. 03/अ- 82/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-डिक्सी, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.903 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	42/1	0.024
	42/2	0.012
	43	0.040
	56	0.036
	50	0.008
	53	0.012
	51	0.016
	52	0.008
	126	0.049
	132	0.036
	134/1	0.101
	134/2	0.016
	137	0.077
	141	0.040
	142	0.049
	143	0.024
	145	0.028
	195/1	0.020
	196	0.049
	193, 195/2	0.113
	197	0.024
	171, 174, 175	0.121
योग	22	0.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरई सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 अक्टूबर 2005

रा.प्र.क्र. 08/अ-82/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-नौरंगपुर, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141	0.016
	142	0.045
	143	0.024
	144	0.024
योग	4	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सपनई सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 अक्टूबर 2005

रा.प्र.क्र. 09/अ-82/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-मोंहदीकला, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1062/6	0.065
	1062/11	0.032
योग	2	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सपनई सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8/अ-82/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बेमेतरा

(ग) नगर/ग्राम-गांगपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.32 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	748/1	0.06
	749/1	0.11
	761	0.69
	762	0.18
	759	0.27
	749/2	0.12
	733	0.11
	746	0.36
	748/5	0.06
	748/3	0.19
	747	0.21
	750	0.47
	760/1	0.28
	748/4	0.09
	748/2	0.12
योग		3.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुरकी जलाशय योजना के स्पिल चैनल एवं बायीं नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक 2440/अ-82/सन् .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
 (ग) नगर/ग्राम-बीजाभाठा, प. ह. नं. 17
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
464/2	0.23
464/5	0.21
464/6	0.36
464/8	0.30
464/1	0.12
196	0.20
364/1	0.05
239/1	0.07
449	0.20
193/2	0.21
190	0.12
466/2	0.02
468/2	0.33
68	0.03
77	0.21
260/2	0.06
269/2	0.17
361	0.13
194	0.24
475/2	0.03
342/1	0.16
66	0.23
357	0.02
76	0.18
201/2	0.01
202/2	0.27
342/2	0.06
466/1	0.48
359	0.03
261	0.09
451/14	0.22
340	0.28
365	0.34
80/2	0.02
65	0.16
473/4	0.25
473/5	0.02
48	0.23
205	0.12
200	0.38
270/1	0.04
451/2	0.12
473/1	0.38
271	0.03
360	0.13
242/2	0.07
269/3	0.16
242/1	0.12
199/3	0.14
80/1	0.36
469	0.36
262	0.05
451/1	0.05
451/6	0.15
242/4	0.06
450	0.14
448	0.01
467	0.02
259	0.20
64	0.14
201/3	0.11
202/1	0.22
341	0.10
475/1	0.15
473/6	0.02
67	0.27
191/2	0.18
362	0.10
195	0.07
193/3	0.17
247	0.10

(1)	(2)
260/1	0.05
142/1	0.36
योग	11.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला डिस्ट्रीब्यूटरी एवं बीजाभाठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

क्रमांक 2440/अ-82/सन् .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भालूकोन्हा, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
15/1	0.16
16	0.08
6	0.18
10/1	0.20
14	0.29
15/2	0.06
5/1	0.57
368/2	0.09
404/10	0.09
368/1	0.05
397	0.29
378	0.24
387	0.05
386/3	0.20
404/9	0.11
382	0.07
396	0.10
322	0.01
386/2	0.04
404/11	0.20
381	0.04
321	0.14
367	0.35
योग	3.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला डिस्ट्रीब्यूटरी, बीजाभाठा माइनर एवं भालूकोन्हा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 16-अ/82/सन् 04-05 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-औरी, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
202	0.03
296	0.02
335	0.03
251	0.34
254	0.03
257/2	0.05
260	0.06
287	0.05
321	0.03
294	0.04
284/2	0.01
326	0.01
325	0.01
302	0.14
349	0.03
324	0.01
342	0.07
258	0.05
315	0.08
224/1	0.03
252	0.03
257/1	0.03
259	0.04
261	0.18
293	0.05
336	0.02
284/1	0.08
322	0.05
340	0.02
341	0.02
290	0.03
292	0.03
327	0.01
298	0.10
291	0.10
331	0.06
250	0.09
253	0.03

(1)	(2)
316	0.05
289	0.06
295	0.04
337	0.02
343	0.04
344	0.05
285	0.02
286	0.02
288	0.06
319	0.04
320	0.06
330	0.03
300	0.03
310	0.10
301	0.06
311	0.12
312/3	0.01
323	0.05
317	0.06
333	0.05
328	0.01
303	0.18
312/1	0.02
313	0.04
338	0.09
329	0.05
334	0.04
299	0.10
309	0.03
312/2	0.02
318	0.06
314	0.03
332	0.03
योग	3.76

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 18-अ/82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-तुलसी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39	0.71
योग	0.71

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 19-अ/82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-चंगोरी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
836	0.25
786	0.07
839	0.10
811	0.03
812	0.03
843	0.29
773	0.22
847	0.12
827	0.11
832	0.07
762	0.40
824	0.58
825	0.51
763	0.10
787	0.07
780	0.13
781	0.15
777	0.10
807	0.12
838/1	0.07
838/2	0.07
838/3	0.07
791	0.30
798	0.42
830	0.57
828	0.19
833	0.08
800	0.09
785	0.20
809	0.21
764	0.11
814	0.06
784	0.06
783	0.09
782	0.11
837	0.41
810/1	0.08
810/2	0.05
838/4	0.07
844	0.22
846	0.24
826	0.10

(1)	(2)
831	0.07
775	0.75
767	0.17
768	0.07
829	0.31
779	0.10
845	0.20
808	0.20
790	0.10
799	0.08
766	0.20
804	0.15
823	0.42
821/2	0.25
215/1	0.40
218	0.19
770	0.45
801	0.05
802	0.05
806	1.05
788	0.15
202	0.07
215/2	0.20
219	0.21
771	0.30
765	0.11
803	0.02
813	0.20
789	0.12
214	0.14
217	0.12
769	0.40
772	0.19
योग	14.81

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 20-अ/82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-सावनी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1472	0.16
1475	0.20
योग	0.36

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 21-अ/82/सन् 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655/608	0.17
619	0.12
656/608	0.12
657/608	0.13
योग	0.52

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

क्रमांक 22-अ/82/सन् 04-05 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-फुण्डा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	0.20
17/1	0.10
26	0.05
10	0.22
17/2	0.35
11	0.20
18	0.20
योग	1.32

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2005

क्रमांक 5 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरहोल, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
906/8	0.10
906/2	0.08
906/5	0.08
913	0.02
135	0.03
159	0.16

(1)	(2)
151	0.06
174	0.45
881	0.49
885	0.06
152	0.11
153/1	0.14
906/3	0.06
906/6	0.11
906/9	0.02
912	0.03
153/2	0.14
157/2	0.17
153/3	0.21
906/1	0.08
906/7	0.18
155	0.06
158	0.16
156	0.18
157/1	0.18
170/1	0.77
171/1	0.52
172/1	0.01
172/2	0.10
173	0.12
176	0.04
182	0.08
183	0.07
396	0.05
407/1	0.08
463	0.05
408/1	0.13
464/1	0.15
468/1	0.06
471/1	0.29
443	0.07
467/1	0.02
45/4	0.08
445/5	0.15
445/2	0.20
445/6	0.10
460/3	0.11
446/1	0.11
447	0.15
458	0.07
461/2	0.10
468/2	0.03
459	0.03
445/3	0.20
460/2	0.13
467/2	0.02
460	0.14
473	0.27
461/1	0.28
465	0.19
469	0.09
470/1	0.05
472	0.18
474	0.54
475	0.23
478	0.09
482	0.81
481	0.16
483	0.07
872	0.90
878/1	0.29
878/2	0.15
879	0.11
882	0.04
884	0.08
883	0.65
906/4	0.15
407/2	0.07
464/2	0.07
471/2	0.05
466	0.08
438	0.13
योग 82	13.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- वरहोल जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2005

क्रमांक 6 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-चन्दरपुर, प. ह. नं. 65

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393	0.47
योग	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनपुर जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 8 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-अजिरमा, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
613/1	0.31
613/2	0.05
613/3	0.04
613/4	0.03
613/5	0.03
613/6	0.04
613/7	0.06
613/8	0.07
613/9	0.02
619/4	0.05
814/1	0.09
814/2	0.02
827	0.13
830	0.03
योग 14	0.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8420/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पांडेटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.60 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
332/1	0.21
332/2	0.46
338/1	0.62
429/2	0.08
429/3	0.19
429/4	0.23
432/2	0.28
433	0.34
435	0.02
436/1	0.26
429/1	0.23
428	0.55
432/1	0.02
341	0.11
योग 14	3.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झालाटोला जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8421/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-झालाटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.36 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
95	0.21
92	0.12
91/1	0.13
91/2	0.13
10/10	0.20
10/10	0.20
114/1	0.41
118	0.33
117/2	0.63
162/2	0.22
143/1	0.33
143/2	0.43
150	0.14
93	0.20
149/1	0.11
148	0.14
147	0.09
146	0.07
154/1	0.08
154/6	0.22
142	0.11
164/2	0.01
151	0.06
161/1	0.13

(1)	(2)
162/1	0.13
241/4	0.03
167/1	0.06
166	0.08
242	0.90
264/1	0.31
264/4	0.10
74/3	0.05
योग 32	6.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झालाटोला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8422/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोलियारी, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
344/2	0.09
336/2	0.41
336/5	0.09
322/1	0.26
340/2	0.21
340/3	0.12
323	0.37
324	0.17
321	0.32
305	0.24
303	0.23
302	0.10
209/1	0.12
299/1	0.15
299/2	0.21
298	0.06
योग 16	3.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोलियारी जलाशय के अन्तर्गत बायीं तट नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8423/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीमहका, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
860/1	0.08

(1)	(2)
859	0.45
858	0.18
857	0.17
864/3	0.65
867	0.25
868/1	0.40
574	0.39
576	0.19
577	0.43
578	0.62
569/1	0.30
358/2	0.17
358/3	0.14
357	0.26
362/1	0.26
363	0.25
364/2	0.15
364/1	0.19
345/16	0.22
345/14	0.14
345/13	0.15
390	0.17
391	0.16
345/7	0.05
398/1	0.22
398/2	0.18
398/3	0.17
403/1	0.23
720/1	0.30
योग 30	7.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शिकारी महका जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक 138/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भेजराटोला, प. ह. नं. 63
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/4	0.101
2/5	0.008
2/14	0.405
2/15	0.061
2/16	0.069
9/1	0.210
9/3	0.121
10/2	0.105
17	0.251
18	0.357
19	0.008
9/2	0.008
62/1	0.202
62/3	0.129
62/10	0.113
62/5	0.185
79	0.049
81/2	0.028
84	0.250
207	0.125
209/1	0.197
87	0.080
88/3	[illegible]
119/1	0.022

(1)	(2)
119/2	0.263
118	0.016
174/1	0.129
171	0.013
172	0.149
174/2	0.044
174/11	0.013
196	0.096
199	0.161
200/1	0.032
154/4	0.219
154/7	0.263
221	0.161
197	0.117
154/6	0.096
227/2	0.081
योग 40	5.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक 139/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सोमाझिटिया, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.360 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
213/1	0.226
213/2	0.089
264/3	0.016
263	0.149
261	0.243
262	0.012
260/4	0.012
260/5	0.097
259	0.081
257/2	0.057
258	0.105
320/4	0.081
321	0.105
322	0.142
323/1	0.008
289	0.101
288	0.021
286	0.069
287	0.121
292	0.141
293/1	0.012
294/2	0.243
295	0.012
297/1	0.137
297/2	0.049
298	0.141
300	0.041
303/1	0.041
301/2	0.093
264/4	0.141
255/3	0.129
334/1	0.202
338	0.243
योग 33	3.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक 140/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-चिरचारीखुर्द, प. ह. नं. 59

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.452 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88/1	0.101
88/2	0.032
88/3	0.053
91	0.057
650/1	0.081
92/6	0.105
92/16	0.081
649	0.065
92/11	0.032
92/15	0.041
583/9	0.162
93/3	0.049
525/5	0.142
94/2	0.101
583/22	0.162
95/1	0.021
96/1	0.032
96/1	0.081
97/2	0.081
97/5	0.041
127/1	0.032
127/2	0.061
127/3	0.061
127/6	0.041
129	0.243
148	0.162
523	0.129
656	0.145
524	0.081
525/4	0.101
526/2	0.223
583/5	0.032
432	0.202
434/3	0.069
435/1	0.101
435/2	0.105
584/2	0.243
586	0.032
436	0.364
413	0.639
414/2	0.183
395/1 क	0.133
395/5	0.101
395/7	0.101
395/9	0.101
397/2	0.041
387/1	0.121
328/4	0.024
395/2	0.028
386/1	0.202
375/2	0.186
376	0.223
374/1	0.081
378/3	0.061
378/11	0.081
340/1	0.081
340/2	0.049
340/4	0.122
339/3	0.090
340/5	0.024
86	0.032
641	0.283
648	0.121

	(1)	(2)
	650/2	0.065
	657/1	0.405
योग	65	7.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक 141/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुमरदा, प. ह. नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.156 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
665	0.263
667	0.405
677/1	0.139
677/2	0.243
505/2	0.081
678	0.243
679	0.413
443	0.008
482	0.021
566/1	0.032
55/4	0.081
109	0.303
65	0.243
66	0.012
70	0.109
69	0.113
72/2	0.077
173/3	0.065
294/3	0.073
168	0.303
169/1	0.040
169/2	0.028
170/5	0.016
170/6	0.012
145/2	0.061
170/7	0.024
145/1	0.020
171/1	0.028
173/1	0.016
173/2	0.049
128/1	0.012
174	0.109
175/2	0.243
126	0.142
176	0.016
179/4	0.008
179/5	0.109
179/6	0.129
272	0.041
280/1	0.223
280/2	0.105
399	0.081
400/1	0.008
400/2	0.065
401/1	0.170
504/2	0.041
545/1	0.162
401/2	0.170

(1)	(2)
442/1	0.332
530	0.223
441/3	0.029
480/2	0.130
481	0.113
503	0.122
504/1	0.061
551/2	0.218
553/1	0.166
553/3	0.113
554	0.113
564/1	0.031
544/2	0.020
557	0.021
558/1	0.021
564/3	0.200
567	0.170
568/1	0.265
569	0.024
568/2	0.101
97/2	0.049
111	0.061
112/1	0.081
113/3	0.105
144	0.089
149	0.081
838	0.223
839	0.202
853	0.870
855	1.092
854	0.109
856	0.366
योग 80	11.156

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्रमांक 142/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/2	0.202
32	0.081
68	0.021
64	0.344
799	0.621
65/1	0.170
65/2	0.182
67	0.303
113	0.143
114	0.041
102	0.113
107/1	0.061
107/2	0.057
108	0.243
110/1	0.081
111	0.089
112	0.081
115/1	0.085
978	0.137
592	0.041
115/2	0.032
236/2	0.190
236/3	0.195
237	0.113

(1)	(2)
305	0.008
308/1	0.092
948	0.183
309	0.041
369/1	0.688
584/1	0.081
585	0.101
586/1	0.081
587	0.069
588	0.101
589	0.153
590	0.162
636	0.061
594	0.097
596/1	0.185
979	0.008
599	0.061
621	0.121
623/1	0.193
969/1	0.183
623/2	0.008
1012/2	0.028
307	0.072
648/1	0.041
648/4	0.101
645	0.368
640	0.089
646	0.345
815/1	0.032
816/1	0.162
835	0.061
836	0.048
838/1	0.101
879/2	0.073
879/3	0.162
981	0.057
879/4	0.016
880/1	0.048
882/1	0.012
883/1	0.041
884	0.041
885	0.045
886	0.081
887	0.032
927	0.137
920	0.081
930	0.202
970	0.008
933/4	0.008
934/2	0.128
949	0.162
947/1	0.056
841/1	0.105
844/2	0.032
842	0.137
971	0.105
977	0.065
980	0.170
1009/1	0.097
1009/2	0.105
925	0.041
1009/3	0.032
1012/1	0.032
1013/1	0.089
1017/1	0.081
1017/2	0.162
1018	0.125
922/1	0.096
924/1	0.049
924/2	0.047
969/2	0.185
879/5	0.085
843/2	0.041
992/1	0.148
844/1	0.113
992/2	0.113
631/1	0.289
631/12	0.153
841/2	0.101
635	0.061
योग 104	12.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के चिरचारीखुर्द लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.